उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-04/2022/162/92-2-22-75एम/2020

लखनऊ:: दिनांक:: 21 मार्च 2022

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-सिद्धार्थनगर में शाहपुर सिंगारजोत नेबुआ खान बहादुर घर से दलित बस्ती तक सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण हेतु निविदा संख्या-1870/ग्रा0अ0वि0/निविदा/2013-14 दिनांक 30.01.2014 के क्रमांक-5 एवं 6 के कार्यो हेतु आमंत्रित निविदा को किसी राष्ट्रीय पेपर में प्रकाशित न करवाने, निर्माण कार्यो का वृहद प्रचार-प्रसार न किये जाने तथा निविदा आमंत्रण में की गयी अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री ईशम सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर के विरूद्ध शासन के कार्यालय संख्या-2526/92-2-2021-75एम/2020 दिनांक 24-08-2021 व श्री एस0एस0 उपाध्याय, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2527/92-2-21-75एम/2020 दिनांक 24-08-2021 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता(पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-1664/ग्रा0अ0वि0/स्था0/जांच-सिद्धार्थनगर/पत्रा0सं0- /2021-22 दिनांक 14-02-2022 में किये गये अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये मुख्य अभियंता (पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के स्थान पर मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी

प्रमुख सचिव

संख्या-04/2022/162(1)/92-2-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- पूर्व जॉच अधिकारी/ मुख्य अभियंता (पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-1664/ग्रा0अ0वि0/स्था0/जांच-सिद्धार्थनगर/पत्रा0सं0- /2021-22 दि0 14-02-2022 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक जॉच से संबंधित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समस्त अभिलेख जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराते हुये शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

3- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक जॉच से संबंधित समस्त अभिलेख पूर्व जॉच अधिकारी/ मुख्य अभियंता (पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त कर नियमानुसार जॉच कार्यवाही पूर्ण करते हुये जॉच आख्या निर्धारित समयावधि में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर।

5- श्री ईशम सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियंता व श्री एस0एस0 उपाध्याय, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।